

संख्या:- 807/77-4-20-35एन/19

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/गीडा/सीडा/लीडा
यूपीसीडा/यूपीडा।

औद्योगिक विकास अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 25 फरवरी, 2020
विषय:- गोपनीय प्रविष्टि अंकित करने की प्रक्रिया का निर्धारण।

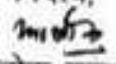
महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 2018 के नियम-37 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गोपनीय प्रविष्टि अंकित करने के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल सहर्ष निम्नवत् स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०	समूह	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकर्ता अधिकारी
1	समूह क	अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र०शासन।

क्र०	समूह	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकर्ता अधिकारी
1	समूह ख	समूह क के प्रभारी अधिकारी	अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी	मुख्य कार्यपालक अधिकारी
2	समूह ग	समूह ख के प्रभारी अधिकारी	विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी	अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों का निस्तारण उत्तर प्रदेश सरकारी सेवाक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के विरुद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली 1995 द्वारा किया जायेगा। वार्षिक प्रविष्टियों की ग्रेडिंग कार्मिक विभाग के प्रभावी शासनादेश के अनुसार की जायेगी।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।